



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government Of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर/ Project Implementation Unit, Jaipur

डी-148, आर. एस.ई.बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021

D-148, Behind RSEB Sub-Satation, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

दूरभाष / Phone : 91-141 - 4026465, ई-मेल / E-mail : jai@nhai.org



No. NHAI/JPR/ R-S /2024 **2683**

Date:-28.11.2024

INVITATION OF PUBLIC COMMENTS

Sub.:- Proposal for Granting Permission for underground laying of Electrical Cable (33KV U/G XLPE Cable outer dia8") of M/s Sieco Infra from Km 321.590 to Km 322.050(LHS) length 460m (single circuit) and crossing at Km 322.050 length 60m (double circuit) total length 520mtr on Reengus-Sikar section of NH-52 in the state of Rajasthan by M/s. SIECO (Application no. 20240715/2/15/28708/9220)- In Principal Approval -reg.

Ref:- 1. Sieco infra letter no. 03 dated 12.09.2024
2. This office letter no. NHAI/JPR/S.O.SIKAR/RS/Crossing/2024/1965 dated 09.10.2024
3. RO letter no. 1890 dated 19.11.2024.

Sir,

It is to inform all concern that Authorized Signatory M/s Sieco Infra vide letter cited under ref(i) has submitted a proposal for the subjected work. Further, Regional office NHAI Jaipur vide letter dated 25.10.2024 has directed PIU's to put out the application of Public and Industrial Utility Services along and across National Highway in the public domain for 30-days for seeking comments.

2. As per para-4 of Ministry Circular No. RW/NH-33044/29/2015S&R(R) dated 22.11.2016 "The application shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest)"

3. In view of above, before approval of the Competent Authority, the comments/objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's Circular dated 22.11.2016 for Proposal for Granting Permission for underground laying of Electrical Cable (33KV U/G XLPE Cable outer dia8") of M/s Sieco Infra from Km 321.590 to Km 322.050(LHS) length 460m (single circuit) and crossing at Km 322.050 length 60m (double circuit) total length 520 mtr on Reengus-Sikar section of NH-52 in the state of Rajasthan by M/s. SIECO. The objections/comments may be addressed to the below mentioned address upto 27.12.2024, beyond due date, no comments/objections will be accepted.

National Highways Authority of India

Project Implementation Unit-Jaipur

D-148, Behind RSEB Sub Station,

Vaishali Nagar Jaipur(Raj.)-302021

Phone: 91-141-4026465, E-mail: Jai@nhai.org

Project Director
NHAI PIU-Jaipur

Copy to:

1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [Rahul.sh@nic.in]
3. Regional Officer, NHAI Jaipur for information please.
4. Authorized Signatory M/s Sieco Infra for information please.



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government Of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर/ Project Implementation Unit, Jaipur

डी-148, आर. एस.ई.बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021

D-148, Behind RSEB Sub-Satation, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

दूरभाष / Phone : 91-141 - 4026465, ई-मेल / E-mail : jai@nhai.org



क्रमांक— भाराराप्रा/जय/रींगस—सीकर/2024/ 2681

दिनांक 28.11.2024

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय:— राजस्थान राज्य में एनएच-52 के रींगस सीकर खंड पर मेसर्स सिको इंफ्रा द्वारा किमी 321.590 से किमी 322.050(एलएचएस) तक 460 मीटर(एकल सर्किट) लंबाई और किमी 322.050 पर 60 मीटर(डबल सर्किट) कुल लंबाई 520 मीटर क्रॉसिंग के लिए विद्युत केबल (33 केवी यू/जी एक्सएलपीई केबल बाहरी व्यास 8") को भूमिगत बिछाने की अनुमति देने का प्रस्ताव (आवेदन संख्या 20240715/2/15/28708/9220)—सैद्धांतिक अनुमोदन—के संबंध में।

- संदर्भ:—** (1) सिको इन्फ्रा पत्र संख्या 03 दिनांक 12.09.2024
(2) इस कार्यालय का पत्रांक—1965 दिनांक 09.10.2024
(3) क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक— 1890 दिनांक 19.11.2024

महोदय,

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मेसर्स सिको इंफ्रा ने संदर्भ (क). के तहत उद्धृत पत्र के माध्यम से विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय एनएचआई जयपुर ने दिनांक 25.10.2024 के पत्र के माध्यम से पीआईयू को राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ सार्वजनिक और औद्योगिक उपयोगिता सेवाओं के आवेदन कि टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 30 दिन के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखने का निर्देश दिया है।

2. मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015 S&R(R) दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार " दावों और आपत्तियों (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) के लिए आवेदन को 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।"

3. उपरोक्त के मद्देनजर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पूर्व, प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/ आपत्तियाँ मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में आमंत्रित की जाती हैं, जो मेसर्स सिको इंफ्रा द्वारा राजस्थान राज्य में एनएच-52 के रींगस सीकर खंड पर किमी 321.590 से किमी 322.050(एलएचएस) तक 460 मीटर(एकल सर्किट) लंबाई और किमी 322.050 पर 60 मीटर(डबल सर्किट) कुल लंबाई 520 मीटर पर क्रॉसिंग के लिए मेसर्स सिको इंफ्रा की विद्युत केबल (33 केवी यू/जी एक्सएलपीई केबल बाहरी व्यास 8") को भूमिगत बिछाने की अनुमति देने के प्रस्ताव के लिए हैं। टिप्पणियाँ/ आपत्तियों नीचे दिए गए पते पर 27.12.2024 तक भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के पश्चात कोई टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएगी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई—जयपुर
डी-148, आरएसईबी सब स्टेशन के पीछे,
वैशाली नगर जयपुर (राज.) —302021
फोन: 91-141-4026465, ईमेल:-jai@nhai.org

परियोजना निदेशक
भाराराप्रा, पीआईयू—जयपुर

प्रतिलिपि—

- वेब एडमिन, एनएचआई, मुख्यालय, नई दिल्ली— एनएचआई वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली — मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- क्षेत्रीय अधिकारी, भाराराप्रा जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मेसर्स सिको इंफ्रा को सूचनार्थ प्रेषित।